न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 15 / 2017 (225 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या – 2017 / 00080

उनवान

1. भूपेन्द्र सिंह } पिसरान स्व0 जगन जाति जाट निवासी नगला नाथूराम तहसील भुसावर
2. दिगम्बर सिंह } जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. कैलाराम } पिसरान प्रताप
2. दीपचन्द }
3. प्रेम सिंह }
4. चन्द्रपाल सिंह } पिसरान धर्म सिंह
5. सुम्मेर सिंह }
6. मोहन सिंह } पिसरान समन्दर सिंह
7. गोपाल }
8. अतर सिंह } पिसरान रतन सिंह
9. चेती }

} जाति जाट निवासी नगला नाथूरान तहसील भुसावर जिला भरतपुर।

.... रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भुसावर दिनांक 01.07.2016 उनवानी कैलाराम बनाम अतर सिंह प्र0स0 13 / 16

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री मोहन सिंह राना उपस्थित।
2. रैस्पो0 अनुपस्थित।

1
भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

निर्णय दिनांक :– 30.07.2021

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर के आदेश दिनांक 01.07.2016 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी/रैस्पो0 संख्या 01 लगायत 07 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध अप्रार्थी/रैस्पो0 संख्या 08 व 09 इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी/रैस्पो0 संख्या 01 लगायत 07 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 154/89 रकवा 09 विस्वा ग्राम नगला नाथूराम तहसील भुसावर में स्थित है तथा उक्त आराजी से लगी हुई अप्रार्थीगण/रैस्पो0 संख्या 08 व 09 की सहखातेदारी भूमि खसरा नम्बर 89 रकवा 01 बीघा ग्राम नगला नाथूराम तहसील भुसावर में स्थित है। परन्तु प्रार्थी को अपने आराजी को जोतने बोने एवं फसल को ले जाने के लिये 15 फुट चौडा रास्ता चाहिए। अतः खसरा नम्बर 89 रकवा 01 बीघा ग्राम नगला नाथूराम तहसील भुसावर में 15 फुट चौडा रास्ता निकलवाने हेतु निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से स्वीकार कर लिया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपीलाण्ट द्वारा यह अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी0पी0सी0 के तहत प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र धारा 96 सी0पी0सी0 में अपीलाण्ट का तर्क है कि चूंकि वादी/रैस्पो0 संख्या 01 लगायत 07 द्वारा अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नही बनाया गया है। विवादित आराजी 154/89 पर अपीलाण्ट के पिता जगन खातेदार दर्ज हैं। अतः आक्षेपित आदेश दिनांक 01.07.2016 से उनके हित प्रभावित होते हैं। अतः धारा 96 सी0पी0सी0 के तहत अपील ग्रहण की गई।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बाबजूद सूचना रैस्पो0 हाजिर अदालत नहीं आये; उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गयी।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए तर्क दिए कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसिल है, जो काबिल निरस्तनीय है। रैस्पो0 संख्या 01 लगायत 07 द्वारा पेशकर्दा प्रार्थना पत्र में अपनी खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 154/89 रकवा 09 विस्वा बताया है। जबकि वास्तविकता यह है कि खसरा नम्बर 154/89 राजस्व अभिलेख में अपीलाण्ट के पिता जगन पुत्र गयावक्स की खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी के सम्बन्ध में अपीलाण्ट की ओर से अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी वैर के यहॉ दावा प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त कर रखी है। परन्तु रैस्पो0 संख्या 01 लगायत 07 ने उक्त सभी तथ्यो को

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी

छुपाते हुये एवं अपीलाण्ट को पक्षकार बनाये बिना रैस्पो0 संख्या 07 व 08 से साज कर अपीलाधीन आदेश पारित करवाया है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि रैस्पो0 संख्या 01 लगायत 07 ने वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध नहीं किया है। इस प्रकार रैस्पो0 संख्या 01 लगायत 07 द्वारा प्रार्थना पत्र स्वच्छ हाथो से पेश नहीं किया है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरडी 2000 पेज 505, 1984 पेज 45(डी) 669, 45(फ), 1998 पेज 319, आरबीजे 2005 पेज 502,2016 पेज 539, आरआरटी 2020(2) पेज 797, 2018–19 पेज 598, 2016–17 पेज 677, 2016(1) पेज 649 का उद्धरण पेश करते हुये, अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेशिका दिनांक 25.01.2016 से अप्रार्थीगण को नोटिस तो जारी किये हैं परन्तु किसी भी आदेशिका में नोटिस बाद तामील प्राप्त होने अथवा अप्रार्थीगण की उपस्थिति बाबत् कोई उल्लेख नहीं है एवं ना ही अपीलाधीन आदेश में ही अप्रार्थीगण की उपस्थिति बाबत् कोई उल्लेख है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश राजस्व लोक अदालत में पारित किया गया है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व पक्षकारों को सुनवाई हेतु, जारी शुदा कोई नोटिस पत्रावली में संलग्न नही हैं। राजस्व लोक अदालत कैम्प का मकसद पक्षकारान में आपसी विवाद को सुलह कराते हुये, प्रकरण को निपटाना होता है। परन्तु तहत न्यायालय ने पक्षकारो को बिना कोई नोटिस दिये व बिना कोई सुनवाई के प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो की अनदेखी करते हुये मनमाने ढंग से आदेश पारित किया है। इसके अलावा प्रार्थी/रैस्पो0 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में स्वयं को खसरा नम्बर 154/89 रकवा 09 विस्वा वाके ग्राम नगला नाथूराम तहसील भुसावर का खातेदार कथन करते हुये, खसरा नम्बर 89 रकवा 01 बीघा में से 15 फुट चौडा रास्ता की दादरसी चाही है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी संवत 2072 से 2075 में विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 154/89 पर जगन बल्द गयाबक्स कौम जाट सा0देह खातेदार दर्ज अभिलेख है। परन्तु प्रार्थी/रैस्पो0 द्वारा उन्हें पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है।

6. हम यह भी पाते हैं कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए **"अन्य खातेदार की जोत में से होकर नया मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना"** अन्तर्गत किसी भू–धारक को मार्गाधिकार, की आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नही है; और अन्य खातेदार की जोत में से होकर विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया हो, की स्थिति में ही प्राप्त हो सकेगा। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करते समय उपरोक्त बिन्दुओं बाबत् कोई परीक्षण नहीं किया है, एवं ना ही रास्ते हेतु आत्यंतिक आवश्यकता अथवा वैकल्पिक रास्ते बाबत् कोई विवेचना ही अपीलाधीन आदेश में अंकित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के इस प्रकार बिना विवेक प्रयोग किये, पारित अपीलाधीन आदेश का हम समर्थन करना उचित नहीं समझते हैं।

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

7. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर के निर्णय दिनांक 01.07.2016 अपास्त किये जाते हैं एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को अधिकतम एक माह में, धारा 251 ए में दिये गये प्रावधानो के अन्तर्गत पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। उभयपक्ष को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 31.08.21 को वास्ते सुनवाई उपस्थित हों। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर, नम्बर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हों। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

8. निर्णय आज दिनांक 30.07.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30-07-2021

(अखिलेश कुमार पिपल)
आर.ए.एस.
कार्या0 भू प्रबंध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर